प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम

जनपद बागपत दिनाँक 03.11.2025

थाना साइबर क्राईम बागपत ने थाने के मु0अ0सं0 38/2025 धारा 318(4),111(2)ii BNS व 66(D) IT Act में क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वॉईंट रिडिम कराने के नाम पर, व्हाट्सएप पर APK फाईल भेजकर, मोबाईल हैक कर विभिन्न लोगों के साथ साइबर ठगी करने वाले 05 शातिर अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशांदही पर काफी मात्रा में सामान बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14-10-2025 को थाना साइबर क्राइम बागपत पर वादी कमलकान्त भारद्वाज ने लिखित तहरीर दी कि वादी के पास एक कॉल आई, जिसने अपने आपको एचडीएफसी बैंक कर्मचारी बताया और वादी के व्हाट्सएप पर एक APK फाईल भेजकर वादी के क्रेडिट कार्ड से कुल 2,45,818 रुपये का साइबर फ्रॉड कर लिया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 38/2025 धारा 318(4),111(2)ii BNS व 66(D) IT Act, पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गई।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशानुसार जनपद बागपत में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राईम बागपत द्वारा थाने के मुकदमा अपराध संख्या- 38/2025 धारा

318(4),111(2)ii BNS व 66(D) IT Act, में वांछित प्रकाश में आए, क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वॉईंट रिडिम कराने के नाम पर, व्हाट्सएप पर APK फाईल भेजकर, मोबाईल हैक कर विभिन्न लोगों के साथ साइबर ठगी करने वाले 05 शातिर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे/निशांदेही पर 08 आईफोन मोबाईल फोन, 09 एन्ड्रायड मोबाईल फोन, 07 डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, 02 डीएल, एक आधार कार्ड, एक कैन्टीन स्मार्ट कार्ड, एक डिपेन्डेंट एक्स सर्विसमेन आई कार्ड, एक आरसी, एक चैक, 29,450 रूपये नगद, एक सिम, 02 अंगुठी (पीली धातु), एक कड़ा (सफेद धातु), एक चैननुमा ब्रेशलेट (सफेद धातु), एक लाकेट ओम (पीली धातु), एक चैन (सफेद/पीली धातु), 02 कान की बाली (पीली धातु), एक HYUNDAI VERNA CAR नम्बर, एक MARAUTI SWIFT CAR बरामद हुई है।

नोट- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25000 रूपये से पुरस्कृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1-शिवा पुत्र मदन निवासी दलीप विहार, गली नं0 4, बड़ौत थाना बडौत जनपद बागपत मूल निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-वंश पुत्र रामवीर सिंह निवासी कोताना रोड़, जयंत विहार कालोनी, कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3-विजय पुत्र हरिद्वार निवासी 108 गगन विहार, रसगुल्ले वाली गली साहिबावाद जनपद गाजियावाद ।

4-नीरज पुत्र राजू निवासी सोनिया विहार, लोनी निस्तोनी, थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद ।

5-पुष्पेन्द्र पुत्र ऋषिपाल सिंह हाल निवासी गली न0 1, नियर एलआईसी ऑफिस, शताब्दी नगर बड़ौत थाना बड़ौत बागपत मूल निवासी ग्राम बाछौड़ थाना छपरौली जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि हमें महगें मोबाईल, होटल व घूमने का शौक है जिसके लिए रूपयो की जरूरत होती है इसलिए हमने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पहले APK फाईल बनाते है फिर इन APK फाईल को हम विभिन्न लोगों के व्हाट्सऐप पर भेजकर उनके मोबाईल को हैक कर लेते है जिससे लोगों के मोबाईल का समस्त एक्सिस हमारे पास आ जाता है। हमारे द्वारा यह APK फाईल इस तरह से तैयार की जाती है कि जो व्यक्ति इन APK फाईल को ओपन करता है वह व्यक्ति हमें ऑनलाईन शॉ होने लगता है। जिससे हम उस व्यक्ति को कॉल कर - क्रेडिट कार्ड के प्वाईंट रीडीम कराने के नाम पर, आरटीओ, शादी के इन्वीटेशन कार्ड, डेविट कार्ड, मूवी टिकट, ऑनलाईन शॉपिंग, ट्रेवलिंग, लॉन एप आदि के बारे मे लुभावने ऑफर देकर साइबर ठगी करते है और इस फ्रॉड से आये रूपयो को आपस में कमीशन के रूप में बाट लेते है।

अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि इनके द्वारा अब तक लगभग **APK** फाईल भेजकर करीब 50 लाख रूपये से भी अधिक का साइबर फ्रॉड किया गया है।

अन्य अपराध/ अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के खाते में पूर्व में ही माननीय भारत सरकार द्वारा संचालित **NCRP PORTAL** पर थाना साईबर क्राइम बागपत के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों से जिनमें

1-शिकायत सं0 33110250138025 के वादी अमित कुमार निरवाल पुत्र विजय कुमार निवासी पट्टी वारू, गुराना रोड, कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत के साथ कुल 19,897 रूपये का साइबर फ्रॉड किया गया है।

2- शिकायत सं0 33110250140929 के वादी पवन कुमार पुत्र चतर सिंह निवासी ट्यौढी, गत्ता फैक्ट्री वाले कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत के साथ कुल 83,500 रूपये का साइबर फ्रॉड किया गया है। इसमें कॉलर मोबाईल न0 8860833179 के साथ मो0 न0 8272847097 से भी कॉल किया गया है।

3- शिकायत सं0 33110250141311 के वादी स्वयं मुकदमा उपरोक्त के वादी है।

4- शिकायत सं0 33210250084830 के वादी सौरभ कुमार पुत्र शंकर पोद्दार पुत्र निवासी थाना विधान नगर नोर्थ, विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट, पश्चिम बंगाल के साथ 29,391 रूपये का साइबर फ्रॉड हुआ है।

5-शिकायत सं0 33110250138367 के वादी गौरव कुमार पुत्र दिनेश कुमार निवासी ब्राह्मण पूठी बागपत है के साथ 10,000 रूपये का साइबर फ्रॉड हुआ है।

6-शिकायत सं0 23109250149851 के वादी आलोक अग्रवाल निवासी बड़ौत बागपत, के साथ 1,12,949 रूपये का साइबर फ्रॉड हुआ है।

कुल 5,01,655 रूपये की शिकायत दर्ज हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस

बरामदगी का विवरणः-

- 08 आईफोन मोबाईल फोन।
- 09 एन्ड्रायड मोबाईल फोन ,
- 07 डेबिट कार्ड ,
- 02 पैन कार्ड,
- 02 डीएल,
- एक आधार कार्ड,
- एक केन्टीन स्मार्ट कार्ड एक डिपेन्डेंट एक्स सर्विसमेन आई कार्ड, एक आरसी,
- एक चैक,
- 29450 रूपये नकद,

- एक सिम,
- 02 अंगुठी (पीली धातु), एक कड़ा (सफेद धातु), एक चैननुमा ब्रेशलेट (सफेद धातु), एक लाकेट ओम (पीली धातु), एक चैन (सफेद/पीली धातु), 02 कान की बाली (पीली धातु) ।
- एक **HYUNDAI VERNA CAR नं0 DL1CAB2024**
- एक **MARAUTI SWIFT CAR नं0 DL5CV9382**

नोट - अभियुक्तगणों द्वारा साइबर फ्रॉड में प्रयोग किये गये तथा इस साइबर फ्रॉड के रूपयों से खरीदे गये मोबाईल की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रूपये है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक ब्रजेश सिंह, थाना प्रभारी साइबर क्राइम, बागपत ।
2-निरीक्षक राजन्द्र सिंह खोड़ा थाना साइबर क्राइम, बागपत ।
3-निरीक्षक संतसरण सिंह, थाना साइबर क्राइम, बागपत ।
4- उ0 नि0 राघवेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम, बागपत ।
5- है0 का0 उमेश वर्मा, थाना साइबर क्राइम, बागपत ।
6- है0 का0 दीपक कुमार, थाना साइबर क्राइम, बागपत ।
7- का0 मोहित, थाना साइबर क्राइम, बागपत ।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रैस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 03.11.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) BNS में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.09.2025 थाना बिनौली पर वादी श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री जोगेराम निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. पप्पू पुत्र आसे, 2. आकाश पुत्र पप्पू, 3. गौरव पुत्र पप्पू, 4. राजीव पुत्र ओमकार, 5. अजय पुत्र ओमकार, 6. संजय पुत्र ओमकार, 7. सोनू, 8. अक्षय, 9. धर्मेन्द्र, 10. जितेन्द्र पुत्रगण रामचन्दर निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लाठी -डण्डों व धारादार हथियार से लैस होकर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी व ट्रेक्टर से परिवाजनों को कुचल दिया, जिससे पैर व हाथों की हड्डी टूट गयी। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) बीएऩएस पंजीकृत किया गया।

नोटः- **उपरोक्त अभियोग में पूर्व में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।**

कार्यवाही- **बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) BNS में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र पप्पू निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-का0 892 तेजवीर सिहं थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-हो0गा0 वीरपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 03.11.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 389/25 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही से ट्यूबवैल से चोरी किया हुआ 03 किलोग्राम बिजली का केबिल, 01 स्टार्टर, 01 लोहे का ब्लेड, 01 प्लास, 01 फावड़ा बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 02.11.25 को थाना खेकड़ा पर वादी संजय पुत्र विजयपाल निवासी पट्टी अहीरान निकट बालाजी मंदिर कस्बा व थाना खेकडा जिला बागपत ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की ट्यूबवैल से स्टार्टर व वायरिंग कट करके केबिल, कटआउट, डोरी, पॉवर पिट्टू पम्प, 02 फावडे आदि चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 389/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाना खेकडा के मु0अ0सं0 389/25 धारा 303(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त की निशांदेही पर चोरी ट्यूबवैल से चोरी किया हुआ करीब 03 किलोग्राम बिजली का केबिल, 01 स्टार्टर, 01 लोहे का ब्लेड, 01 प्लास, 01 फावड़ा बरामद हुआ हैं।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. संजीव पुत्र नवाब निवासी तांगा स्टेण्ड के पास पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- करीब 03 किलोग्राम बिजली का केबिल कटा हुआ।
- 01 स्टार्टर।
- 01 लोहे का ब्लेड।
- 01 प्लास।
- 01 फावड़ा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा बागपत।
2. है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकडा बागपत।
3.है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 03.11.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गोवध अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 प्रतिबन्धित पशु, 03 रस्सी, 01 छुरी व 01 गंडासा बरामद ।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे 01 प्रतिबन्धित पशु, 03 रस्सी, 01 छुरी व 01 गंडासा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-निशु उर्फ सोनू पुत्र कालू निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 35 वर्ष

2-वकील पुत्र ईशा निवासी ग्राम कुर्माली थाना कोतवाली शामली जनपद शामली उम्र 46 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 प्रतिबन्धित पशु (पशु को ग्राम नैथला की गौशाला में छोडा गया है)
- 03 रस्सी,

- 01 पशु काटने का छुरी।
- 01 गंडासा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3- है0का0 447 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4- है0का0 632 विनोद कुमार थाना कोतवालीबागपत जनपद बागपत।

5- का0 443 रामेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 03-11-2025**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 308/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 308/25 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिजेन्द्र पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम असारा थाना रमाला, जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 59/25 धारा 305 बीएनएस 3/5/8 गौवध अधि0 थाना रमाल, बागपत

2-मु0अ0स0 60/25 धारा 109(3) BNS व 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना रमाला, बागपत

3-मु0अ0स0 308/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना रमाला बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री ओमपाल सिहं थाना रमाला, बागपत

2-उ0नि0 श्री सन्नी चौधरी थाना रमाला, बागपत

3-उ0नि0 श्री केदार सिहं थाना रमाला, बागपत

4-का0 26 कुलदीप कुमार थाना रमाल, बागपत